

अनुमति की शर्तें ।

- (i) जमा भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्कूल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 487 दिनांक 27/01/2020

श्री मुन्ना कुमार मेवाड़ा S/O श्री किशन लाल मेवाड़ा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मापचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 32314/- (तीन)

जरिये रसीद संख्या 1028/697, 698

दिनांक 27/01/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 26 (अवरी भाग) श्री मोहनी
पोलीटेक्निक कॉलेज के पास
मेजीडेंसी रोड

सी+1
राजीव

27/01/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

यू नर

9414590170